<u>लोक सभा</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 1445

5 मार्च, 2018 को उत्तर के लिए

इस्पात की खपत

1445. श्री भीमराव बी. पाटीलः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान देश में इस्पात की खपत में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस्पात की कुल मांग, उत्पादन, खपत तथा आयात कितना रहा तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में कितनी प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है;

(ग) क्या लौह और अयस्क की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण इस्पात उद्योग विशेषकर छोटे और मझोले इस्पात संयंत्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस्पात संबंधी आयात शुल्क तथा लौह अयस्क संबंधी निर्यात शुल्क में वृद्धि करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा लौह अयस्क के अवैध निर्यात को रोकने तथा घरेलू इस्पात उद्योग के लिए लौह अयस्क सहित कच्चे माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

<u>उत्तर</u>

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री विष्णु देव साय)**

(क): जी, हाँ।

(ख): विगत तीन वर्षों में प्रत्ये क वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान इस्पात की कुल मांग, उत्पादन, खपत और आयात के ब्यौत इस संबंध में दर्ज प्रतिशत वृद्धि के साथ नीचे दिये गये है:-

कुल फिनिश्ड इस्पात						
वर्ष	**बिक्री हेतु उत्पादन**		**खपत**		**आयात**	
	मात्रा (एमटी)	**% बदलाव**	**मात्रा (एमटी)**	**% बदलाव**	**मात्रा (एमटी)**	**% बदलाव**
2014-15	92.16	5.1	76.99	3.9	9.32	71.03
2015-16	90.98	-1.3	81.52	5.9	11.71	25.6
2016-17	101.81	11.9	84.04	3.1	7.23	-38.3
अप्रैल-जनवरी 2017-18*	88.37	5.1	72.52	5.4	6.45	5.7
स्रोत: जेपीसी ; *अनंतिम						

(ग): देश में लौह अयस्क का उत्पादन घरेलू इस्पात उद्योग की आवश्यकता से अधिक है।

(घ): सस्ते आयातों में वृद्धि के विरूद्ध घरेलू इस्पात उद्योग को प्रतिस्पर्धा का समान अवसर प्रदान करने की दृष्टि से सरकार ने अन्य के साथ-साथ विभिन्न व्यापारिक उपचारी उपाय किये है यथा एंटी डंपिंग ड्यूटी और सेफगार्ड ड्यूटी, जिनकी वजह से आयातों में पर्याप्त कमी हुई है और कीमत वसूली में सुधार हुआ है।

(ड.): लौह अयस्क के गैर कानूनी निर्यात को रोकने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक और गोवा में लौह अयस्क के खनन पर वर्ष 2011 और 2012 में प्रतिबंध लगाया है। बाद में, कर्नाटक और गोवा में लौह अयस्क के उत्पादन के लिए सीमा निर्धारित की गई थी।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि डाउन स्ट्रीम उद्योगों में मूल्य-वर्द्धन के लिए भारत में पर्याप्त् लौह अयस्क उपलब्ध हो जाये, सरकार ने 58 प्रतिशत से अधिक लोहांश वाले ग्रेडों के लौह अयस्क पर 30 प्रतिशत का यथा-मूल्य निर्यात शुल्क लगाया है। घरेलू इस्पात निर्माताओं के लिए लौह अयस्क और कोयला समेत कच्चे माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015 और कोल माइन्स (स्पेशल प्रोविजन्स) एक्ट, 2015 लागू किया है। सरकार ने व्यापक अन्वेषण को सुविधाजनक बनाने के लिए नेशनल मिनरल एक्सप्लोररेशन पॉलिसी भी अधिसूचित की है और लौह अयस्क के बेनिफिशिएसन और एग्लोकमेरेशन पर अत्यधिक बल प्रदान किया है ।

*****